पंजीकृत / तत्काल

निदेशालय– बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक C-123 / बा0वि0परि0 / स्था–1 / 2017–18 दिनांक ~~मार्च 2018~~ 10/04/2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा गया है कि जनपदों से सेवानिवृत्त हो चुके अथवा सेवानिवृत्त होने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध नही रहती है, अथवा इनके पूर्व तैनाती जनपदो से आप द्वारा ससमय प्राप्त नही की जाती है, परिणामस्वरूप सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियॉ अपूर्ण होने के कारण कार्मिकों के सेवा नैवृत्तिक देयको का निस्तारण आप द्वारा समय से नही किया जाता है, जिसके कारण सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना अधिकारियो द्वारा अपने सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान के सम्बन्ध मे मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये जाते है, जिससे विभाग पर अनावश्यक रूप से वाद का बोझ पड़ता है तथा सरकार की छवि भी धूमिल होती है।

यह भी संज्ञान में आया है कि कतिपय बाल विकास परियोजना अधिकारियो द्वारा अपनी जी0पी0एफ0 पासबुक व सेवा पुस्तिका अपनी अभिरक्षा में रखी जाती है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। बाल विकास परियोजना अधिकारियो की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक का रखरखाव व उक्त सेवा अभिलेखों मे समय–समय पर प्रविष्टियों का अंकन करना तथा सेवा सत्यापन करने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी का है। अतः आप यह सुनिश्चित कर ले कि आपके जनपद में कार्यरत समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका व जी0पी0एफ0 पासबुक जिला कार्यक्रम कार्यालय में उपलब्ध है एवं पूर्ण हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1– जनपद में कार्यरत समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक में सभी प्रविष्टियॉ अद्यतन पूर्ण करके जिला कार्यक्रम कार्यालय मे रक्षित करना सुनिश्चित करें।

2– यदि किसी बाल विकास परियोजना अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0 पासबुक इनके पूर्व तैनाती जनपद से आपको प्राप्त नही हुयी है तो तत्काल प्राप्त करके उसमे अद्यतन प्रविष्टियों को अंकित करते हुये सेवा अभिलेखो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3– आपके जनपद में सेवा निवृत्त हो चुके तथा सेवा निवृत्त होने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा पेन्शन, ग्रेच्युटी, जी0आई0एस0 आदि का निस्तारण आपके स्तर से कराया जाना है। अतएवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के सेवा अभिलेख तत्काल पूर्ण करके सेवानैवृत्तिक देयको का समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में आप द्वारा सेवा नैवृत्तिक देयको का समयान्तर्गत निस्तारण न किये जाने के कारण मा0 न्यायालय में कोई वाद योजित होता है अथवा मा0 न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाते है तो प्रकरण में आपको उत्तरदायी मानते हुये आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4— 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 भुगतान की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि महालेखाकार से प्राप्त मिलान रिपोर्ट में अंकित टिप्पणी का अनुपालन कर लिया गया है।

5— अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजते समय यह सुनिश्चित कर ले कि अवकाश लेखा पूर्ण है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सेवा निवृत्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर विभाग की कोई देयता/रिकवरी आदि लम्बित नही है, से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाय।

उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक